गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : 206 /एम0पी0/जोन-1/2018-19

दिनांक : 22/8/2019

मानचित्र संख्या : MAP20190510103648843

सेवा में,

मानचित्र स्वीकृति पत्र

मै0 यूनीनेव डेवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री अनुप गर्ग
निवासी- 330, प्रथम तल, पटपड़ गंज,
इण्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 10.05.19 के सन्दर्भ में खसरा सं०-1085मि0, 1089मि0, 1091मि0, एवं 1091/1, ग्राम नूरनगर जिला गाजियाबाद पर प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र पर निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति दिनांक 03.08.19 से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण की विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि मुख्य सड़क की ओर न खुले।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर एवं भवन उपविधि के नियमों के विरूद्ध कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तो का पालन करना होगा।
13. आप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं इण्डीमेन्टी बॉण्ड दिनांक 22.05.2019 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 02 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है। भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लाये।
16. भवन उपयोग से पूर्व भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
17. 12 मी0 से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

-क्रमश-

18. अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, अतिथि ग्रह विश्राम ग्रह, छात्रवास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थायें, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बैक्वेट हॉल, बारात घर व 500 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयत्र की स्थापना करनी होगी।
19. संरचना सुरक्षा व स्पेसीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय आपका होगा। संरचना सुरक्षा व भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
20. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सेस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगा। लेबर सेस की अवशेष धनराशि स्वयं श्रम विभाग में जमा कराकर रसीद प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
21. अतिरिक्त शर्ते मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा कर दी गयी है। जिनका अनुपालन विकासकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

22/8/18

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक: /एम0पी0/जोन-1/2018-19 दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन-1 को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण